प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बुलन्दशहर

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक,

ईगल पब्लिक प्राथमिक स्कूल हृदयपुर मोड़, जी0टी0 रोड़ औद्योगिक क्षेत्र
सिकन्द्राबाद (बुलन्दशहर)

पत्रांक शि0बे0/ 10781-82 / 2004-05 दिनांक 11/01/05

विषय : विद्यालय को प्राथमिक स्तर को स्थाई मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप द्वारा प्रस्तुत मान्यता हेतु आवेदन पत्र पर मान्यता समिति की संस्तुति पर आपके विद्यालय को दिनांक १-७- 2004 से स्थाई मान्यता [प्राथमिक स्तर कक्षा १ से ५ तक] निम्नांकित अनुबन्धों के साथ प्रदान की जाती हैं।—

१—समिति के पंजीकरण का अद्यावधि नवीनीकरण कराया जाता रहे।

२ - विद्यालय में केवल प्रशिक्षित ही अध्यापक नियुक्ति किए जाये। इस कार्यालय की अनुमति के बिना न कोई अध्यापक निकाला जाये न ही नियुक्त किया जाए।

३ —विद्यालय का भवन एवं भूमि का स्वामित्व हो। बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के भवन अन्यत्र स्थानान्तरित न किया जाये और भवन एवं भूमि का विद्यालय के नाम दाखिल खारिज हो।

४ - विद्यालय के भवन में २० × १६ फीट के ०५ शिक्षण कक्ष एवं १२ × १० फीट का कार्यालय निर्मित कराया जाये।

५ —अध्यापकों/कर्मचारियों को परिषद द्वारा निर्धारित वेतनमान दिये जायें तथा वेतन बैंक ट्रान्सफर/चैक से भुगतान किया जाये। अध्यापक व कर्मचारियों को भविष्य निधि की सुविधा प्रदान की जाये।

६—बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त पुस्तकें न पढ़ायी जायें।

७—विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क ही वसूल की जाये।

८ —शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो।

९ -अवैधानिक कक्षायें (नर्सरी कक्षायें या ६ से आगे की कक्षायें संचालित न की जायें।

१० -विभागीय/शासनादेशों/निर्देशों का पालन किया जाय। किसी भी अवैधानिक गतिविधि का संचालन विद्यालय में न किया जाये।

उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार अधोहस्ताक्षरित को होगा।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर 11/01/05

पृ0सं0 शि0सं0/ / 2004-05 उसी तिथि को

प्रतिलिपि सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी सिकन्द्राबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर